PBR/निगरानी/इंदौर/भू-रा/2017/1884

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष

फारूक पिता रशीद पटेल
निवासी – ग्राम जैतपुरा तह. सांवेर जिला इन्दौर म.प्र. निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. इशहाक मोहम्मद पिता इस्माईल
2. नजर पिता रहमत अली
3. नासीर हुसैन पिता हाजी इशहाक
4. मलकाबाई पति रशीद
5. जुबैदा पति सलीम

सभी निवासी – ग्राम जैतपुरा तह. सांवेर जिला इन्दौर प्रत्यर्थीगण

धारा 52 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

मान्यवर,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता/प्रार्थी की ओर से निवेदन निम्नानुसार है कि :–

1. यह कि, प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के प्र.क्रं. 254/16–17 अंतरिम आदेश दिनांक 31/5/17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

2. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सांवेर द्वारा निगरानीकर्ता तथा प्रत्यर्थीगणों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किए गए बंटवारे (वर्ष 2008–09) को बिना निगरानीकर्ता व अन्य पक्षकार को पक्षकार के रूप समयोजित किए बिना अवधि विधान पर बिना आदेश किए अंतिम आदेश पारित कर दिया उक्त आदेश के कियान्वयन पर स्थगन दिया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/1884 [फारूक / इशहाक]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-7-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सचिन भावसार उपस्थित । उनके द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने से नॉटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । विचारोपरांत आवेदक के निवेदन पर प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	